XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

सर्टिफिकेट अपील वाद संख्या–93/2010

अधीक्षण अभियन्ता,कबारि राज्य विद्युत बोर्ड, पूर्णियाँ सर्किल ————आवेदक

बनाम्

1.मेसर्स सुपर हुडको स्टील प्रा0 लिमिटेड,
सा0–मोहन कुण्डा, हॉसदा, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ
द्वारा श्री शालीग्राम जयसवाल, पिता–स्व0 बॉकें बिहारी जयसवाल
निदेशक
2.श्री सुशील जयसवाल, निदेशक, पिता–स्व0 गौरी शंकर जयसवाल
सा0–मोहन कुण्डा, हॉसदा, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ
3. सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ

————विपक्षी

आ दे श

आवेदक अपर समाहर्त्ता–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा नीलाम पत्र वाद सं0–10/04–05 में दिनांक 24.06.2010 को पारित आदेश के विरूद्व यह वाद दायर किया है। आवेदक के द्वारा विपक्षी के विरूद्व 7,74,539.06 (सात लाख चौहत्तर हजार पॉच सौ उलचालीस रूपया छः पैसा) की वसूली हेतु वी0डी0आर0 एक्ट की धारा 5 अन्तर्गत प्रस्ताव दिया गया। नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा विपक्षी से इस संबंध में आपत्ति आवेदन की मॉग की गई। पुनः आवेदक द्वारा एक आवेदन देकर विपक्षी के चल एवं अचल सम्पत्ति के किसी भी प्रकार के निष्पादन पर तत्कालिक रूप से कारण पृच्छा की भी मॉग की गई, जिसे विपक्षी ने प्रस्तुत किया। दिनांक–29.04.2006 को नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा वाद निर्वहन योग्य नहीं है का आदेश पारित किया गया। पुनः आवेदक दिनांक–15.06.2009 को इस न्यायालय में अपील वाद सं0–38/2009 उपरोक्त आदेश के विरूद्व दायर किया। इस न्यायालय से पुनः नीलाम पत्र पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करने हेतु नीलामपत्र वाद सं0–10/2004–05 वापस भेजा गया। अपर समाहर्त्ता–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ दिनांक–24.06.2010 को माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त संबंध में चल रहे वाद के निष्पादन तक इस वाद की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश पारित किये। नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियम के विरूद्व है और वास्तविक तथ्यों को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया गया। आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि निम्न न्यायालय से अभिलेख मॅगवाकर वाद की सुनवाई कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्व करने की कृपा की जाय।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किया गया यह दुसरा अपील वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। पहला नीलाम पत्र अपील वाद इसी न्यायालय में 38/2009 प्रारंभ हुआ था, जिसमें नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा दिनांक–12.12.2009 को आदेश पारित हो चुका था और अपीलकर्त्ता ने विपक्षी के विरूद्व 7,74,539.06 की वसूली के लिए यह वाद दायर किया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त राशि 6,18,45,227.00 रू0 मान्नीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलकर्त्ता के विभाग द्वारा 39,63,155.00 की राशि वर्ष 2006 में वापस ले लिया। पुनः वर्ष 2006 में 85,97,768.00 छुट के रूप में मूल राशि में घटाया गया। इस प्रकार विपक्षी के पास राशि बकाया नहीं है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

दिनांक 14.10.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपर समाहर्त्ता के द्वारा मात्र इससे संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहने का आधार बनाकर वाद को खारिज किया गया, जो गलत है। माननीय उच्च न्यायालय से किसी तरह का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कुछ नहीं कहा गया।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। इस वाद को पुनः उन्हें लौटाते हुए आदेश दिया जाता है कि वे 03 (तीन) माह के अन्दर उभय पक्षों को सुनकर विधिवत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ